राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मिन्टू देवी / रामानिवास

तारीख हुक्म	200/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/11/21	प्रार्थीया/अपिलार्थियाँ मिन्टू देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पर आज यह पत्रावली कार्यालय से तलब होकर पेश हुई। प्रार्थीया/अपिलार्थियाँ मिन्टू देवी ने अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया/अपिलार्थियाँ मिन्टू देवी द्वारा यह अपील अपने स्वयं के एवं अपने नाबालिक संतानों की और से जरिये प्राकृतिक संरक्षक एवं माता इस न्यायालय के समक्ष पेश की है चूँकि अब पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिये प्रार्थीया/अपिलार्थियाँ अब इस अपील को आगे चलाना नही चाहती है अतः अपील विड्रो फरमाई जावे। प्रार्थीया/अपिलार्थियाँ द्वारा यह अपील विड्रो किये जाने की इस्तदुआ की गयी है एवं चूँकि अपील में नाबालिक अपीलकर्ताओं का बिन्दु मौजूद है अतः नाबालिग अपीलार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के बालिग होने पर उनको अपने हितो के लिए चाराजोही की स्वतन्त्रता रखते हुये यह अपील अपीलार्थीगण विड्रो किये जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	R.T.I. मिन्टू देवी बाबत पत्रावली कर्ता अपीलान्ट ए. (हस्ताक्षर) 30/11/21

राजस्व अपील (मुहर)